

2/5/18

उपखण्ड अध. एवं सहायक कलकत्ता

मसूदा (अजमेर) गांव

पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी का वकील उपस्थित पत्रावली का अन्तर्गत
 किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वकील जमीनें इस
 न्यायालय में दिनांक 12.5.16 को सूचित किया गया कि जमीनें की
 मूल्य हो गयी है। इसलिए उसके कारिसान का अर्थान पत्र पेश कर
 चाहे है। इस हेतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.7.16 की तारीख पेशी
 की गई तत्पश्चात् वकील जमीनें हाथ करीबन 11 माह बाद तब जमीनें
 के कारिसान हेतु अर्थान पत्र पेश किया जाना नहीं पाया गया। जबकि
 विधि के शाब्दिकों के अनुसार केली श्री पक्षकार की मूल्य होने की
 दृशा से जानकारी से अन्तर मियाद 90 दिवस में उसके कारिसान
 के रेकार्ड पर लेने का अर्थान पत्र उत्पन्न किये जाने का शाब्दिकों की
 जमादि वकील जमीनें हाथ इस न्यायालय में दिनांक 14.7.16 को जमीनें
 की मूल्य होने कावर सूचित किये जाने के बाद जमीनें 22 माह की
 अवधि में कभी भी जमीनें के कारिसान के रेकार्ड पर लिखे जाने का अर्थान
 पत्र उत्पन्न किया जाना नहीं पाया गया जो-याय के प्रतिपादित विधिमतों
 के विपरीत है। एसी स्थिति में जमीनें का अर्थान पत्र अवेर किया जाना
 खारिज किया जाना न्यायोचित अर्थात् होता है और जमीनें का अर्थान पत्र
 अवेर किया जाना अजायबिक के किन्हीं कारणों से किया जाना है। जिस
 कारण युक्त एक नजर के अर्थान पत्र है। बाद 54तर हाथि है।

ह

(संज्ञक चक्रवर्ती)

अधि. एवं सहायक कलकत्ता
मसूदा (अजमेर) गांव

